सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर्स
(छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

----000----

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की – **कंडिका–5.12**–छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने पाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रसार–प्रचार सामान्य जिलों की अपेक्षा आदिवासी बाहुल्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुआ है । अतः माननीय आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है कि जिला प्रशासन क्षेत्रीय बोली में हाट–बाजार, मेला मड़ाई के अवसर पर प्रसार–प्रचार के लिए लोक नाट्य लोक संगीत जैसे साधनों को अपनाया जाकर अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आम जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके ।

2/– अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

राज्य सूचना आयोग
क्रमांक 4473
04 MAY 2013

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2. 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

2 MAY 2013